अपील सूचना अधिकार संख्या 34/2018 धीरज सिंगल पुत्र सुरेन्द्र सिंगल निवासी 79 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.06.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी धीरज सिंगला एवं अप्रार्थी स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी धीरज सिंगला ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.04.2018 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ से सूचना चाही गई थी, जो उन्हें निर्दिष्ट समय सीमा में प्राप्त नहीं होने के कारण, प्रार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश कर निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना से निम्न सूचनाएं चाही गई है :

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के 173/0 किमी से 248/650 किमी (सूरतगढ से श्रीगंगानगर सैक्शन) का निर्माण किये जाने हेतु भूमि अर्जन व बनाये गये अवार्ड के सम्बन्ध मे

1. CALA के खाते में अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के मुआवजे की रकम किस तारीख को जमा हुई।
2. जमा दिनांक 09.04.2018 तक हितबद्ध व्यक्ति को किस तारीख को कितनी रकम अदा की गई है। सूचना प्रदान करें।
3. सभी हितबद्ध व्यक्ति जिनकों रकम अदा की गई है उसने प्राप्त रकम अदायगी के लिए दस्तावेजों की प्रत्येक की एक–एक प्रति उपलब्ध करायें।
4. आप से प्राप्त की गई नेतेवाला बाईपास के नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि में खुली आँख से दिखता है कि 11 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 7 में किला नं. 4 के साथ चिपती साईड में भूमि अवाप्त नहीं हो रही है। फिर भी आपने ओ.पी. मोटर्स की पूरी 0. 0140 है. भूमि का मुआवजा बना दिया। इसका क्या आधार है। इसकी सूचना देवें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. 11 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 51 के किल नं. 6 व 7 में 3 डी में ओ. पी. मोटर्स, धीरज सिंगला, नरेश छाबड़ा व अंकुर मिगलानी एवं संजय गर्ग की संयुक्त रूप से भूमि अवाप्त की गई थी। परन्तु मुआवजे में ओ.पी. मोटर्स का मुआवजा अलग से दर्शाया गया है। जबकि बाकि सबका संयुक्त रूप से दर्शाया गया है। इसकी गणना का क्या आधार है। कृपया सूचना देवें।
6. 11 एलएनपी के मुरब्ब नम्बर 51 के किला नम्बर 6 में धीरज सिंगला, नरेश छाबड़ा व अंकुर मिगलानी एवं संजय गर्ग की संयुक्त रूप से 0.0048 है. भूमि अवाप्त हुई है और इतनी भी भूमि का मुआवजा बनाया गया है। कृपया सूचना देवें कि उपरोक्त किला नं. 6 में किस–किस हितकारी की कितनी भूमि का कब्जा लेकर सड़क बनाई गई है और भूमि का कब्जा करने की गणना किस प्रकार से की गई है, इसकी सूचना भी देवें।

सक्षम प्राधिकारी (एन.एच.) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ ने अपने पत्रांक पीए/सूचना का अधिकार/2018/195 दिनांक 02.05.2018 से निम्न सूचना उपलब करवाई है :

1. CALA के खाते में अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के मुआवजे की रकम दिनांक 08.09.2017 को जमा हुई।
2. जिस प्रकार से आप द्वारा सूचना चाही गई है। कार्यालय स्तर पर उस प्रकार से कोई रिकॉर्ड संधारण नहीं होता है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

3 आप द्वारा रकम अदायगी किये गये समस्त हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अदायगी से संबंधित पेश किये गये समस्त दस्तावेजों की एक–एक प्रति चाही गई है ।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस कार्यालय में मुआवजा वितरण संबंधी अलग–अलग प्रकरण बनाये जाकर प्रकरण वाईज ही मुआवजा वितरण संबंधी दस्तावेजात यथा जमाबंदी, रिपोर्ट पटवारी, प्रार्थना पत्र, शपथ –पत्र, पार्टीकुलर, आईडी, बैंक पास बुक इत्यादि लिये गये। जिनका रिकॉर्ड बस्तों में बंधा हुआ है। उक्त दस्तावेजों में बैंक पास बुक की भी प्रतियां है। बैंक पास बुक निजी होने से इसकी प्रतिलिपि देने से पूर्व संबंधित को नोटिस देकर सहमति लेना आवश्यक है। समस्त प्रकरणों में लगभग 200 हितधारीगणों से अधिक के अनेक दस्तावेज लगे हुए है। इतने व्यक्तियों को नोटिस देकर सहमति लेना श्रम साध्य व समय साध्य कार्य है। अधिनियम की धारा 7(9) में भी उल्लेखित है कि "किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसमें उसमें मांगा गया है, (इस विषय में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10.07.2008 में स्पष्ट किया गया है) जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अनुपाति रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।" अतः उचित रहेगा कि जिन–जिन हितधारियों के दस्तावेज आप लेना चाहते है उनका नाम व पत्रावली संख्या से अवगत करावें। तत्पश्चात नियमानुसार नकल दस्तावेजात उपलब्ध करा दी जायेगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) अनुसार "सूचना के अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का कारण या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की उपेक्षा नहीं की जायेगी।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. आप द्वारा जिस तरह से प्रश्न पूछे गये है, वे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में नहीं आते है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

5. आप द्वारा पूछे गये प्रश्न सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में नहीं आते है। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं हैं।

6. उक्त बिन्दु में आपके द्वारा किये गये कथनानुसार संयुक्त भूमि की आवाप्ति हुई है। इसके अलावा उक्त बिन्दु में आप द्वारा पूछे गये प्रश्न सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आते हैं। अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

" विदित रहे कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय में अभिलेख जिस करद संधारित है, प्रार्थी व्यक्तिशः उपस्थित आकर नियमानुसार निरीक्षण शुल्क एवं प्रतिलिपि शुल्क का संदाय कर अभिलेख प्राप्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत न तो सूचना सृजित करे दी जा सकती है और ना ही सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस संदर्भ में रिट पिटिशन संख्या 419/2007 डा. सेल्सा पिण्टो बनाम गोवा राज्य सूचना का आयोग के प्रकरण में गोवा स्थित मुम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04. 2008 भी अवलोकनीय है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों सूचना वही देय है, जो अभिलेखों में उपलब्ध है। सूचना के रूप में लोक सूचना अधिकारी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी का दायित्व यहां तक है कि वह आवेदक को समग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में वो प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

इसलिए सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दिया गया उत्तर पत्र सं0 195 दिनांक 02.05.2018 सही है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर